FN

राजस्थान—सरकार राजस्व(ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक:प.9(84)राज. / ग्रुप-1 / 2013

जयपुर, दिनांक :-26-09-2013

:- अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला बारा की तहसील अन्ता के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या—6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या—8 के अनुसार होगा:—

SK. 18.

LA

क्र0 सं	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हैक्टर में)		प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टर में)		दूरी कि.मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	A	8	9	10
1. '	बारां/अन्ता	सोरसन	2794	2977.29	झोंपडिया	328	53.04	1.5	2924.25
2.		देवपुरा	329	404.33	सोरसन		31.89		372.44
	योग		3123	3381.62		328	84.93		3296.69

518

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, बारा को अधिकृत किया जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपन्न क्रमांक प.9(16)राज—1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(सूबेसिंह यादव) संयुक्त शासन सचिव